(54)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 03/अपर सचिव / जोन–4 / 2011–12 दिनांक 01 / 11 / 2012

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर विद्यालय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री अरूण प्रकाश अध्यक्ष, नव्यार्ची एजूकेशनल सोसायटी द्वारा आराजी सं0–280 व 346 / 272 सारंगापुर, परगना–अरैल, तहसील–करछना, जिला इलाहाबाद (क्षेत्रफल 21100.00 वर्गमीटर) जोन संख्या (4) के अर्न्तगत दाखिल विद्यालय भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
5. स्थल पर 110 वृक्ष लगाने होगे तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व संस्था का होगा।
6. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयत्र की स्थापना अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।
7. निर्माण कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
8. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तत्पश्चात् ही जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
9. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति दिनांक 13.09.2012, मुख्य अभियन्ता–विद्युत की अनापत्ति दिनांक 07.08.2012 एवं रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति दिनांक 19.09.2012 **(छायाप्रति संलग्न)** मे आरोपित प्रतिबन्धों का अनुपालन अक्षरशः करना होगा।
10. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर उक्त का संयोजन Existing सर्विसेस से करने की जिम्मेदारी सोसायटी की होगी।
11. भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं उत्सर्जित मलवा अपने परिसर में ही रखना होगा तथा इस सम्बन्ध मे दिये गये शपथ पत्र दिनांक 30.10.2012 का अक्षरशः पालन करना होगा।
12. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

Recd with thanks

for Arun Prakash

Continued

13. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।

14. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।

15. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

16. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

17. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

<u>संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।</u>

1.11.2012

(सीमा सिंह)
अपर सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

TOTAL PLOT AREA = 2.11 Hec.
= Ac. 5.21 = 21091.784 Smt.

Sl. No.	PRIMARY BLOCK	Area for F.A.R. & Total Built up Area
1.	BASEMENT FLOOR	1010.18 Sqmt.
2.	GROUND FLOOR	848.43 Sqmt.
3.	FIRST FLOOR	848.43 Sqmt.
4.	SECOND FLOOR	848.43 Sqmt.
5.	THIRD FLOOR	848.43 Sqmt.
	TOTAL	4378.2 Sqmt. ...(1)

Sl. No.	NURSERY BLOCK	Area for F.A.R. & Total Built up Area
1.	BASEMENT FLOOR	833.60 Sqmt.
2.	GROUND FLOOR	723.73 Sqmt.
3.	FIRST FLOOR	723.73 Sqmt.
4.	SECOND FLOOR	723.73 Sqmt.
5.	THIRD FLOOR	723.73 Sqmt.
	TOTAL	3707.09 Sqmt. ...(2)

Sl. No.	ADMIN. BLOCK	Area for F.A.R. & Total Built up Area
1.	BASEMENT FLOOR	275.0 Sqmt.
2.	GROUND FLOOR	335.0 Sqmt.
3.	FIRST FLOOR	275.0 Sqmt.
	TOTAL	885.0 Sqmt. ...(3)

Sl. No.	MISCELLANEOUS BLOCK	Area for F.A.R. & Total Built up Area
1.	SWIMMING POOL &	91.06 Sqmt.
2.	HORSE STABLE	80.18 Sqmt.
	TOTAL	170.46 Sqmt. ...(iv)

TOTAL BUILT UP AREA/ TOTAL AREA FOR F.A.R = (i+ii+iii+iv) = 9140.75 Sqmt.

F.A.R. ACHIEVED = 0.433

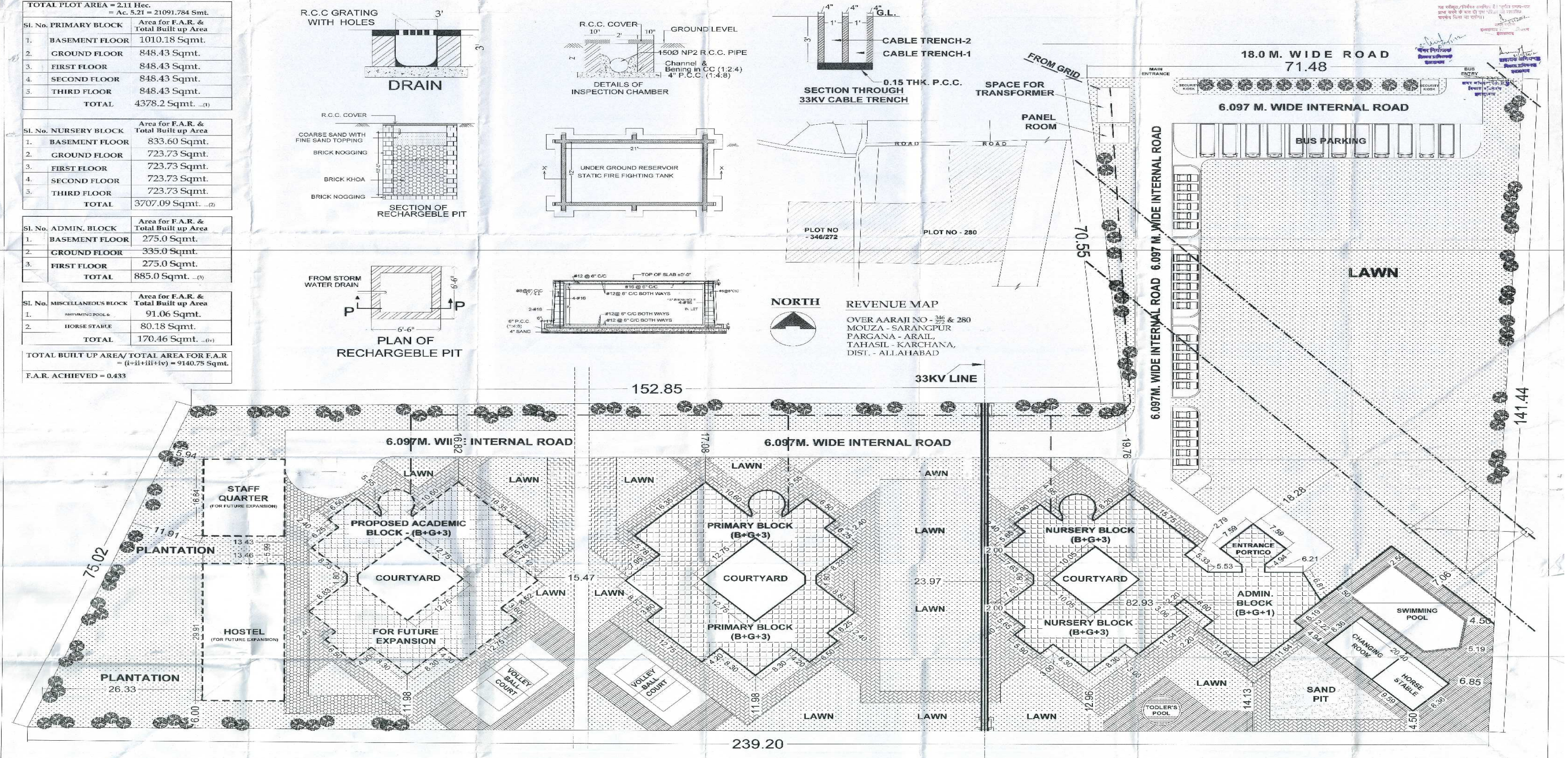

PROJECT :	PROPOSED INTERNATIONAL SCHOOL OVER AARAJI NO. $\frac{346}{272}$ & 280 AT ALLAHABAD.			
DRAWING TITLE :	SITE PLAN & LANDSCAPE PLAN	TITLE : APPROVAL DRAWING		
DRAWN/CHKD BY: ANUBRATA	SCALE : 1" = 8'	DATE : 22ND AUGUST 2012	SHEET No.: 1	JOB No.: REV. No.: 3

Space CUBE
ARCHITECTS, ENGINEERS, TOWN PLANNERS

ARCHITECT :
Ar.B.S.MISHRA
AR/082/BDA, CA/90/13075

OWNER :
Dr. ARUN PRAKASH,
CHAIRMAN NAVAYARCHI EDUCATIONAL SOCIETY, ALLAHABAD.

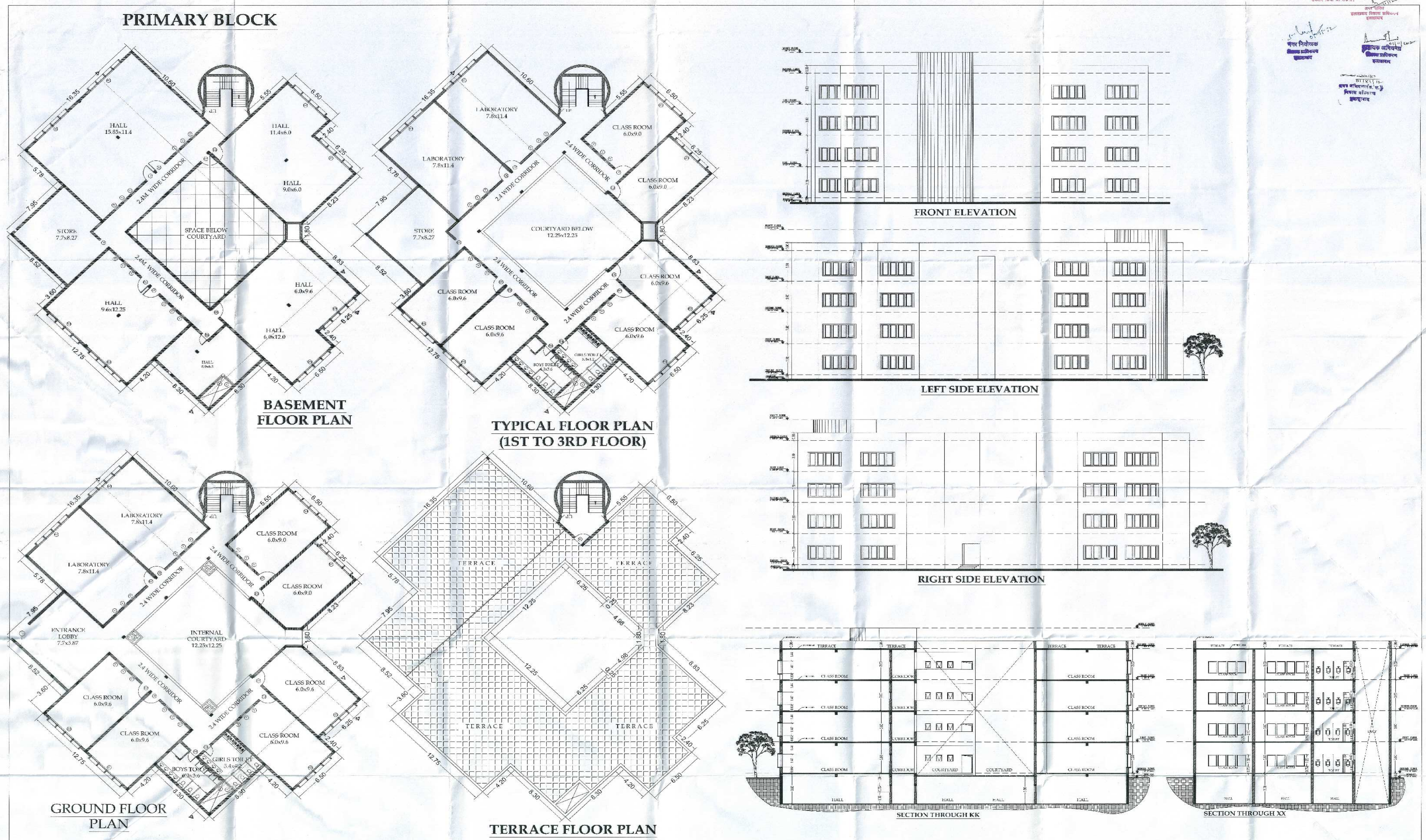

PROJECT : PROPOSED INTERNATIONAL SCHOOL OVER AARAJI NO. $\frac{346}{272}$ & 280 AT ALLAHABAD.

DRAWING TITLE : PRIMARY BLOCK PLAN | TITLE : APPROVAL DRAWING

DRAWN/CHKD BY: ANUBRATA | SCALE : 1" = 8' | DATE : 3RD JULY 2012 | SHEET No.: 2 | JOB No.: | REV. No.: 2

Space CLEE
ARCHITECTS, ENGINEERS, TOWN PLANNERS
34, SURYA NAGAR, BHUBANESWAR, ORISSA - 751003

ARCHITECT :
Ar.B.S.MISHRA
AR/082/BDA, CA/90/13075

OWNER :
Dr. ARUN PRAKASH,
CHAIRMAN NAVAYARCHI EDUCATIONAL SOCIETY, ALLAHABAD.

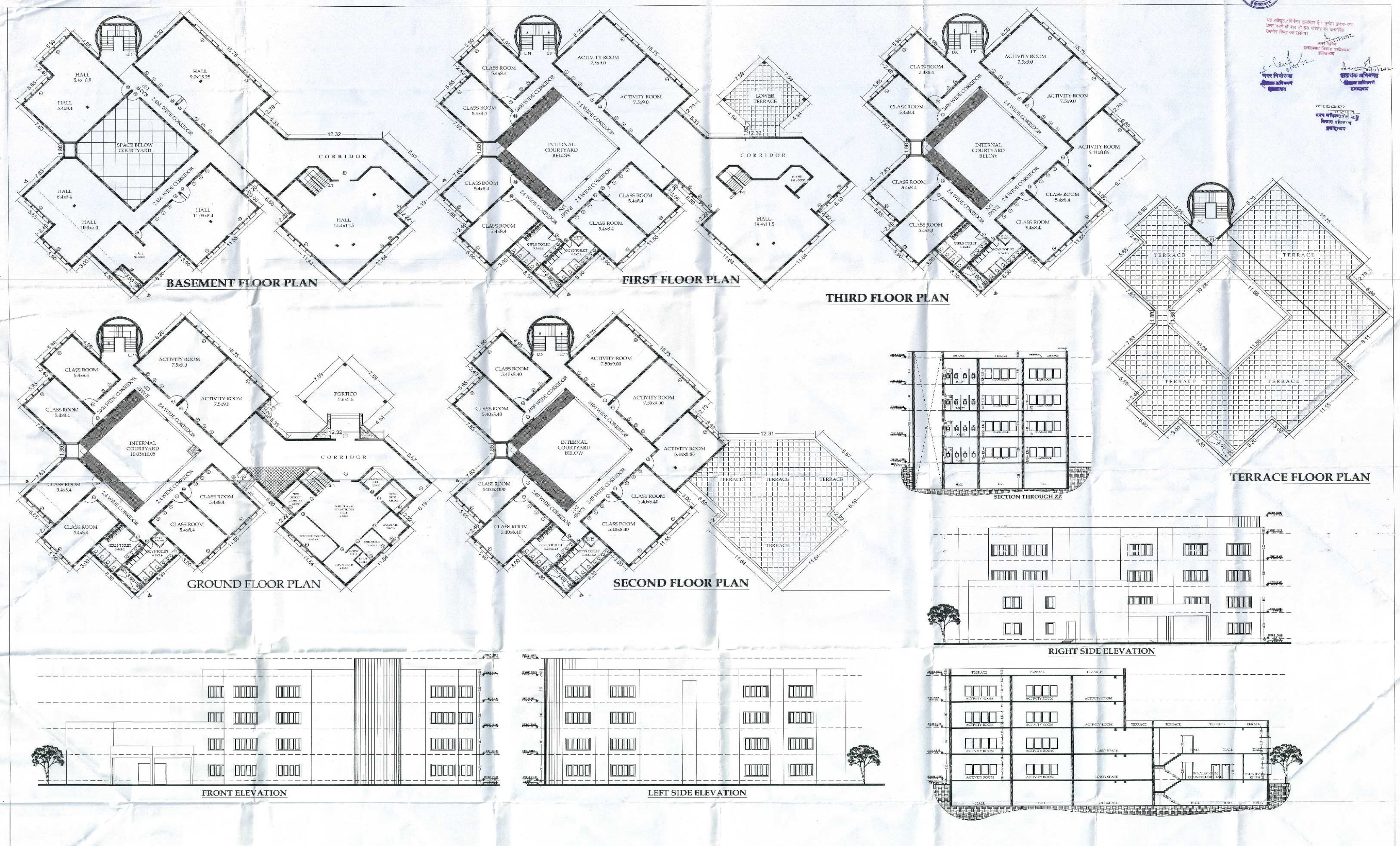

PROJECT :	PROPOSED INTERNATIONAL SCHOOL OVER AARAJI NO. $\frac{346}{272}$ & 280 AT ALLAHABAD.
DRAWING TITLE :	NURSSARY & ADMINISTRATIVE BLOCK
TITLE :	APPROVAL DRAWING
DRAWN/CHKD BY:	ANUBRATA
SCALE :	1" = 8'
DATE :	3RD JULY 2012
SHEET No.:	3
JOB No.:	
REV. No.:	2

Space
ARCHITECTS, ENGINEERS, TOWN PLANNERS
54, SURYA NAGAR, BHUBANESWAR, ORISSA - 751003

ARCHITECT :
Ar.B.S.MISHRA
AR/082/BDA, CA/90/13075

OWNER :
Dr. ARUN PRAKASH,
CHAIRMAN NAVAYARCHI EDUCATIONAL SOCIETY, ALLAHABAD.